न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या —33/2023 (अपील) दायर दिनांकः— 20.06.2023

जीसीएमएस न0 2023/111

कामनी पत्नी महेन्द्र सिंह माता गंगा बाई पुत्री अमीचन्द जाति राजपूत निवासी ग्राम जालखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

——अपीलाण्ट.

बनाम

1. भूरसिंह उर्फ भूरी सिंह आत्मज अमीचन्द जाति राजपूत मृतक जर्ये कायम मुकामान—

1/1 खेम सिंह आत्मज भूरसिंह उर्फ भूरी सिंह जाति राजपूत

1/2 द्वारकीलाल आत्मज भूरसिंह उर्फ भूरी सिंह जाति राजपूत निवासीगण कालीमाता मन्दिर के पास ग्राम जालखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

1/3 कमला बाई पुत्री भूरसिंह उर्फ भूरी सिंह पत्नी करतार सिंह जाति राजपूत निवासी लुधियाना पंजाब

1/4 हरी बाई पुत्री भूरसिंह उर्फ भूरी सिंह पत्नी प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी जालखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

2. टीकाराम आत्मज अमीचन्द जाति राजपूत निवासी विश्राम स्थल अजमेर

3. रामस्वरूपी पुत्री अमीचन्द पत्नी केसर सिंह जाति राजपूत मृतक जर्ये कायम मुकामान—

3/1 राजू आत्मज केसरसिंह माता रामस्वरूपी जाति राजपूत

3/2 किशन आत्मज केसरसिंह माता रामस्वरूपी जाति राजपूत निवासीगण पूना महाराष्ट्र

3/3 पिंकी पुत्री केसरसिंह माता रामस्वरूपी जाति राजपूत निवासी पूना महाराष्ट्र

4. सामोती पुत्री अमीचन्द पत्नी करण सिंह जाति राजपूत मृतक जर्ये कायम मुकामानः—

4/1 नरेन्द्र आत्मज करण सिंह माता सामोती निवासी मुम्बई महाराष्ट्र

4/2 दुलारी पुत्री करण सिंह माता सामोती निवासी अजमेर राजस्थान

4/3 बाला पुत्री करण सिंह माता सामोती निवासी बिराड मुम्बई

4/4 राजू आत्मज करण सिंह माता सामोती निवासी बिराड मुम्बई

5. जमना बाई पुत्री अमीचन्द पत्नी सुजान सिंह मृतक जर्ये कायम मुकामान—

5/1 शान्ति पत्नी नवलसिंह माता जमना बाई जाति राजपूत

5/2 गोविन्द आत्मज नवल सिंह माता जमना बाई जाति राजपूत

5/3 सरदार सिंह आत्मज नवल सिंह माता जमना बाई जाति राजपूत निवासीगण ग्राम जालखेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

6. शान्ति बाई पुत्री अमीचन्द पत्नी ज्ञानसिंह जाति राजपूत निवासी मुम्बई महाराष्ट्र

7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

——रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्व इंतकाल संख्या 18 आदेश दिनांक 26.06.1964 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा

उस्थिति

1. श्री ओमप्रकाश नागर, कुंजबिहारी नागर अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री पवन नागर, पंकज नागर अभिभाषक रेस्पो0 नं0 1/3 व 1/4 की ओर से

निर्णय

दिनांक– 29.07.2025

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार लाडपुरा के इंतकाल नम्बर 18 दिनांक 26.6.1964 ग्राम जालखेड़ा की अप्रसन्नता में यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की माता गंगाबाई को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही इंतकाल तस्दीक कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट के नाना अमीचन्द पुत्र नथ्या सिंह जाति राजपूत निवासी जालखेडा के स्थायी निवासी थे, जिनके पुत्र भूरा सिंह, भीमसिंह, टीकाराम व रामस्वरूपी, सामोती, कमलाबाई, गंगाबाई, जमना बाई, शान्ति बाई, पुत्रियां व गुलाब कंवर पत्नी थी अर्थात मृतक अमीचन्द के तीन पुत्र, 6 पुत्रियां व पत्नी गुलाब कंवर थी । उनके वारिसान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन इंतकाल तस्दीक कर दिया जबकि अमीचन्द जी के तीन पुत्र, 6 पुत्रीयां, व पत्नी गुलाब कंवर वारिस होने के बावजूद भी तीनों पुत्र व पुत्री कमला, सामेती, रामस्वरूपी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया है । जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने से निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को मृतक अमीचन्द के सभी वारिसान का नाम जांच कर इंतकाल तस्दीक करने हेतु रिमाण्ड फरमायी जावें ।

2. उक्त नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 26.6.1964 की अप्रसन्नता में अपील दिनांक 15.06.2023 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के साथ प्रस्तुत की गई । अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये । रेस्पो0 नं0 1/3 व 1/4 की ओर से अभिभाषक श्री पवन नागर, पंकज नागर का वकालतनामा पेश हुआ, शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की जाकर उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनी ।

3. वकील अपीलान्ट ने अपील मे अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की माता गंगाबाई को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही इंतकाल तस्दीक कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट के नाना अमीचन्द पुत्र नथ्या सिंह जाति राजपूत निवासी जालखेडा के स्थायी निवासी थे, जिनके पुत्र भूरा सिंह, भीमसिंह, टीकाराम व रामस्वरूपी, सामोती, कमलाबाई, गंगाबाई, जमना बाई, शान्ति बाई, पुत्रियां व गुलाब कंवर पत्नी थी अर्थात मृतक अमीचन्द के तीन पुत्र, 6 पुत्रियां व पत्नी गुलाब कंवर थी । उनके वारिसान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन इंतकाल तस्दीक कर दिया जबकि अमीचन्द जी के तीन पुत्र, 6 पुत्रीयां, व पत्नी गुलाब कंवर वारिस होने के बावजूद भी तीनों पुत्र व पुत्री कमला, सामेती, रामस्वरूपी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट के नाना अमीचन्द के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम जालखेड़ा स्थित आराजी खसरा नम्बर 169 रकबा 37 बीघा 11 बिस्वा आराजी थी जिसके बाद सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 354, 355, 356, 357, 358, 359, 367, 368, 369 कायम किये । उक्त आराजी पर पारिवारिक सहमति से नानी गुलाब कंवर के स्वर्गवास बाद 1/9 हिस्से पर अपीलान्ट की माता गंगा बाई काबिज काश्त रही और उनके स्वर्गवास बाद अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है किन्तु हाल ही में रेस्पोडेन्ट द्वारा दर्ज नाम के आधार पर खुर्द बुर्द करने की जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट को मना करने व राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर अपील जानकारी की तिथि से अवधि मध्य प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को मृतक अमीचन्द आत्मज नाथ्या जाति राजपूत निवासी जालखेडा के सभी वारिसान का नाम जांच कर इंतकाल तस्दीक करने हेतु रिमाण्ड फरमायी जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

4. रेस्पोडेन्ट नं0 1/3 व 1/4 के अभिभाषक ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में चाहा गया अनुतोष के सम्बन्ध में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया एवं कानूनी बिन्दुओं पर गहनता से विचार किया । अपीलान्ट मृतक खातेदार अमीचन्द की पुत्री गंगा बाई की पुत्री है, जिसने अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 26.06.1964 के विरूद्व दिनांक 15.6.2023 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील 58 वर्ष 11 माह के बाद पेश की गई है जो अवधि बाधित है, मियाद के सम्बन्ध में धारा 5 के प्रार्थना पत्र में आराजी पर सहकारी व किसान कार्ड हेतु नकल निकलवाने पर प्रथम जानकारी दिनांक 6.4.2023 को होना बताया है जो धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त एवं ठोस आधार नहीं है । अपीलान्ट ने उक्त वर्णित आराजी के अपने हिस्से पर अपनी माता गंगा बाई का कब्जा काश्त होना एवं उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट द्वारा कब्जा काश्त करना बताया है किन्तु गंगा बाई ने कब तक कब्जा काश्त की एवं कब उनकी मृत्यु हुई तथा अपीलान्ट ने कब से कब्जा काश्त की इसका कोई उल्लेख नहीं किया है, अपीलान्ट का मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में किये गये कथन मानने योग्य नहीं है कि अपीलान्ट की माता को अथवा अपीलान्ट को 58 वर्ष तक उक्त वर्णित इंतकाल की जानकारी नहीं रही हो । मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में अपीलान्ट ने कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया है । इतनी लम्बी अवधि को कन्डोन किया जाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है । अतः लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

6. परिणामतः अपील अपीलान्ट 58 वर्ष 11 माह विलम्ब से पेश होने तथा अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर ही अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

7. निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर कोटा

जिला कलक्टर
कोटा